

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009) www.ggu.ac.in Ph. No. 07752 - 260021

क....] २५.. / अका. / 2013

बिलासपुर, दिनॉक 27 11 13

ः अधिसूचनाः

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.10.2013 में विषय क्रमांक 03 के अंतर्गत शोध नियमन R-6.2 में प्रावधानित शोध निर्देशकों / पर्यवेक्षकों की पात्रता पर पुर्नविचार किया गया।

विचारोपरांत विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को शोध निर्देशक / पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी :--

"A faculty member from University Teaching Department/Affiliated Colleges/Scientist or Teacher from national Institute of repute shall be considered as a thesis supervisor only if he/she fulfils the criteria of having published at least 05 research papers in reputed peer reviewed/reputed national/international journals in last five years."

शोध नियमन R-6.2 (i) एवं (ii) उपरोक्तानुसार एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है।

आदेशानुसार, ———— \,, कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क.<u>....../</u>अका./2013

बिलासपुर, दिनॉक 27 111 13

प्रतिलिपि:-

- 1. कुलपति / सम—कुलपति जी के सचिव / निज सहायक को माननीय कुलपति / सम—कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- 3. पुरीक्षा नियंत्रक / स.कु.स. (परीक्षा / गोप.—1, 2) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- ्र. विभागाध्यक्ष, सी.एस.आई.टी. विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

5. कार्यालय प्रति।

103510877

M. 2011113

सहा. कुलसचिव (अका.)